मु० नं० 09/24
इन्तकाल राजाराम बनाम [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो ...
6/5/24	पत्रा० पेश हुई। प्रतिवादी सं० 2 लगायत 5 की ओर से एड० श्री जगदेव कसाना द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया। तहसीलदार लवाण को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 6-6-2024 को पेश हो। [signature]	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 24/6/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
24/6/24	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई, वास्ते निर्णय 27-6-24 को पेश हो। [signature]	
27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 4/7/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक............ को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
4/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल पत्रावली है, जिसकी [illegible] शामिल होकर, दाखिल दफ्तर हो। नकल [?] [illegible] हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लवाण (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बसवा
जिला –दौसा

प्रकरण संख्या :–09 / 2024
प्रकरण रज्जु दिनांक :–23.1.2024
निर्णय दिनांक :–4.7.2024

उनवान

राजाराम प्रजापत पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी जयपुरा की थली, गुल्लाना तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बसवा तह.बसवा
2.जगदीश पुत्र रामस्वरूप
3.ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
4.राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
5.कंहैयालाल पुत्र रामस्वरूप
उपरोक्त 2 लगायत 5 समस्त जाति कुम्हार निवासी जयपुरा की थली, गुल्लाना तहसील बसवा

उपस्थितिः–1. प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री मनोज मिश्रा
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से श्री जगदेव कसाना

–: आदेश दुरस्ती हेतु :– दिनांक : 4.7.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रापत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया कि ग्राम महादेवपुरा पटवार हलका गुल्लाना तह.बसवा के खाता संख्या नया 25 पुराना 24 जिसके आराजी खसरा नंबर 812 / 0.93 हैक्टयर, 813 / 1.45 हैक्टयर, 814 / 0.83 हैक्टयर, 818 / 1.50 हैक्टयर, 821 / 1165 / 0.10 हैकटयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.81 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी 1 / 150 का हिस्सेदार है, इसी प्रकार इसी ग्राम के खाता संख्या 24 खसरा नंबर 815 / 0.01 गै.मु.चाह में भी 1 / 150 का हिस्सेदार है, ग्राम महादेवपुरा के ही खाता संख्या 26 खसरा नंबर 819 / 0.72 हैकअयर में भी 1 / 150 हिस्सा है एवं ग्राम महादेव पुराना के ही खाता संख्या 82 खसरा नंबर 816 / 1.24 हैक्टयर, 817 / 0.44 हैक्टयर कुल रकबा 1.68 में भी 1 / 150 का हिस्सेदार है । प्रार्थी की माता जगनी की मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता रामस्वरूप की दिनांक 10.10.2002 को मृत्यु उपरांत नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 17.1.2007 विरासत का खोला गया तो प्रार्थी [illegible] में बोलता हुआ नाम ताराचंद दर्ज राजस्व रिकोर्ड कर दिया जबकि प्रार्थी का [illegible] नाम राजाराम है । प्रार्थी के सभी दस्तावेजात यथा वोटर कार्ड, आधार [illegible] परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पण्डितपुरा की टी.सी., पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं सभी अन्य सरकारी दस्तावेजात में राजाराम प्रजापत पुत्र रामस्वरूप प्रजापत दर्ज रिकोर्ड है । प्रार्थी के दस्तावेजात में नाम राजाराम प्रजापत होने के कारण, प्रार्थी राजस्व अभिलेख में सहवन से त्रुटिपूर्ण अंकित नाम ताराचंद दर्ज होने से कृषि कार्य के ऋण व अन्य सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में ताराचंद के स्थान पर राजाराम प्रजापत किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:40:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण प्राप्त होने पर हमने अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से एडवोकेट श्री जगदेव कसाना द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत की ।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, इस जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा, प्रार्थी के प्रा.पत्र के बिन्दुओं के संबंध में अपनी स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की ।

प्रकरण में तहसीलदार बसवा से भी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्र कमांक भू.अ./2024/1908 दिनांक 28.5.2024 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया कि जमाबंदी ग्राम महादेवपुरा के खाता संख्या 24, 25, 26 एवं 82 में प्रार्थी का नाम ताराचंद पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है । प्रार्थी द्वारा पेश आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रामस्वरूप दर्ज है । पटवारी हलका गुल्लाना की मौकें पर जांच के समय उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि प्रार्थी ताराचंद का दस्तावेजात के आधार पर वास्तविक नाम रामस्वरूप ही है, लेकिन पहले नोग घर पर ताराचंद के नाम से बुलाते/पुकारते थे। अतः पटवारी हलका गुल्लाना की जांच रिपोर्ट पेश दस्तावेजात के आधार पर ताराचंद पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार की जजगह राजाराम पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार किये जाने हेतु मूल ही पटवारी रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है ।

प्रार्थी राजाराम द्वारा प्रा.पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज प्रति यथा – आधार कार्ड संख्या 898906453520, बैंक ऑफ बडोदा के खाते की फोटोप्रति, परिवाद राशन कार्ड बारकोड संख्या 200003407911, विद्यालय टी.सी कमांक 21, आयकर विभाग पैन कार्ड ईटीडब्ल्यूपीपी 9144 आर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आर जे 29 20010022794, जनआधार कार्ड 5054887336, फोटो पहचान पत्र आरजे 07/051/369036 इत्यादि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ताराचंद नहीं होकर, राजाराम पुत्र रामस्वरूप अंकित किया हुआ है ।

हमने वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की बहस सुनी । बहस के दौरान दोनों ही पक्षों ने प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में ताराचंद के बजाए राजाराम करने पर सहमति प्रदान की एवं न्यायालय हाजा से जमाबंदी में अंकित नाम ताराचंद को विलोपित करके, राजाराम करने का समर्थन किया ।

सम्पूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रविष्टि			इस [illegible] इस प्रविष्ठि में जो संशोधन करने के आदेश [illegible]		
राजस्व ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्ठि जिसे दुरस्त करना है	राजस्व ग्राम	खाता सं.	इस आदेश के उपरांत इस प्रविष्ठि को संशोधित किया जाना है ।
1	2	3	4	5	6
महादेवपुरा पटवार मण्डल गुल्लाना	खाता संख्या 24 खाता संख्या 25 खाता संख्या 26 खाता संख्या 82	ताराचंद	महादेवपुरा पटवार मण्डल गुल्लाना	खाता संख्या 24 खाता संख्या 25 खाता संख्या 26 खाता संख्या 82	राजाराम

अतः वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रविष्ठि [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

कॉलम संख्या 6 में संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतदद्वारा राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं । इस आदेश द्वारा केवल खातेदार के नाम में ही संशोधन किया गया है, **शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे** । तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested